| | | |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | राजस्थान राज–पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>*Extraordinary* |
| | साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | चैत्र 20, बुधवार, शाके 1935–अप्रेल 10, 2013<br>*Chaitra 20, Wednesday, Saka 1935–April 10, 2013* | |

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।


**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**

**(GROUP-II)**

NOTIFICATION

**Jaipur, April 10, 2013**

**No. F. 2 (19) Vidhi/2/2013.–**The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2013 is hereby published for general information:–

# THE RAJASTHAN NURSES, MIDWIVES, HEALTH VISITORS AND AUXILIARY NURSE-MIDWIVES REGISTRATION (AMENDMENT) ACT, 2013

**(Act No. 16 of 2013)**

[Received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2013]

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Nurses, Midwives, Health Visitors and Auxiliary Nurse-Midwives Registration Act, 1964.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Nurses, Midwives, Health Visitors and Auxiliary Nurse-Midwives Registration (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 9 of 1964.-** In section 25 of the Rajasthan Nurses, Midwives, Health Visitors and Auxiliary Nurse-Midwives Registration Act, 1964 (Act No. 9 of 1964), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "three hundred rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted.

**3. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 9 of 1964.-** In sub-section (2) of section 29 of the principal Act, for the existing expression "appoint a sub-committee of not less than three or more than five members of the Council", the expression "appoint such number of inspectors whether from among members of the Council or otherwise as it deems necessary" shall be substituted.

**4. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 9 of 1964.-** In section 31 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the existing expression "three hundred rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the existing expression "two hundred rupees", the expression "twenty thousand rupees" and for the further existing expression "five hundred rupees", the expression "fifty thousand rupees" shall be substituted; and

(c) in sub-section (3), for the existing expression "one hundred rupees", the expression "ten thousand rupees" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप–2)**

अधिसूचना

**जयपुर, अप्रेल 10, 2013**

**संख्या प. 2 (19) विधि/2/2013.**–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान नर्सेस, मिडवाइव्ज हैल्थ विजिटर्स एण्ड ऑग्जलरी नर्स–मिडवाइव्ज रजिस्ट्रेशन (अमेण्डमेन्ट) एक्ट 2013 (एक्ट नं. 16 ऑफ 2013)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

**(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)**

**राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013**

**(2013 का अधिनियम संख्यांक 16)**

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रेल, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नर्स**,** दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1964 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान नर्स**,** दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

**2. 1964 के राजस्थान अधिनियम सं.9 की धारा 25 का संशोधन.-** राजस्थान नर्स**,** दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम सं.9), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है**,** की धारा 25 में विद्यमान

अभिव्यक्ति **"**तीन सौ रुपयों**"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"**तीस हजार रुपये**"** प्रतिस्थापित की जायेगी।

**3. 1964 के राजस्थान अधिनियम सं.9 की धारा 29 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति "परिषद्‌ अपने कम से कम तीन सदस्यों अथवा अधिक से अधिक पांच सदस्यों की एक उप-समिति," के स्थान पर अभिव्यक्ति "परिषद्‌ इतनी संख्या में निरीक्षकों, चाहे अपने सदस्यों में से या अन्यथा, जैसाकि वह आवश्यक समझे, की एक उप-समिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

**4. 1964 के राजस्थान अधिनियम सं.9 की धारा 31 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 31 में**,-**

(क) उप-धारा (1) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति ''तीन सौ रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तीस हजार रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) उप-धारा (2) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति ''दो सौ रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बीस हजार रुपये'' और आगे विद्‌यमान अभिव्यक्ति ''पांच सौ रुपयों'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पचास हजार रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) उप-धारा (3) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति ''एक सौ रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''दस हजार रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,
**प्रमुख शासन सचिव।**

4

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।